न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 09/2022(GCMS No. 2022/155)

इकबाल सिंह पुत्र लोगा सिंह जाति रामगढ़िया निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

लोगा सिंह पुत्र श्री जंग सिंह जाति रामगढ़िया निवासी सुजावलपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता को बार–बार आवाज़ लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी इकबाल सिंह ने जरिये अधिवक्ता श्री राकेश कुमार के यह पत्रावली पेश की। अप्रार्थी लौंगा सिंह ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 11.05.2022 से प्रार्थी इकबाल सिंह को माह जून 2022 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 1500/– रूपये अप्रार्थी लौंगा सिंह के खाते में जमा करवाने के आदेश दिये गये थे। जिसके विरूद्ध प्रार्थी इकबाल सिंह यह अपील पेश की है।

यह अपील प्रार्थी ईकबाल ने पुत्र की हैसियत से अपने पिता लोगा सिंह पुत्र जंग सिंह के विरूद्ध पेश की है। माता पिता एवं भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत पुत्र अपील पेश करने का कोई **अधिकारिता है अथवा नहीं?** धारा 16(1) निम्न प्रकार से है:

> **धारा 16.अपील**–(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

परन्तु अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण–पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता–पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगाः

परन्तु यह और कि अपील अधिकरण साठ दिनो की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसे समाधान है कि अपीलार्थी समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल करने हेतु पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा संतान की हैसियत से अपील पेश करने का सम्बन्ध है। उक्त धारा 16(1) के अनुसार अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल वरिष्ठ नागरिक व माता–पिता के द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही दिया गया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर. एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्द कुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये हैः–

13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099,

This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार कोई भी न्यायालय/सरकार/अथोरिटी किसी भी प्रभावी कानून के विपरीत जाकर कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं कर सकती है। चूंकि धारा 16(1) के अनुसार केवल वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता के द्वारा प्रस्तुत अपील को ही इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है और किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने की अधिनियम में कोई अधिकारिता नही दी गई है और न ही संतान या संबंधी के रूप में प्रस्तुत की गई किसी अपील पर उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के विपरीत कोई अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जा सकती है।

इसलिए अपीलार्थी ने पुत्र के रूप में दिनांक 14.06.2022 को प्रस्तुत की गई यह अपील एडमिशन की स्टेज पर ग्रहण योग्य न होने के कारण, यहां से खारिज की जाती है। **अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भिजवाई जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भी भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर